बिहार सरकार विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या— वि०प्रा0 (I) स्था0-04/2014 (पार्ट)- 48 म /पटना, दिनांक- 02 09 25

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

- (1) यह नियमावली **बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025** कहीं जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय तक रहेगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम-9 में संशोधन।-

- (1.) उक्त नियमावली के नियम—9 के उप नियम—(4) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा।—
 - "(4) इस सेवा के सदस्यों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नित, विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा से देय होगी। विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना निम्नवत होगी:—
 - विकास आयुक्त, बिहार, पटना। – अध्यक्ष (i)सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, (ii) – सदस्य सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, – सदस्य (iii) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना। सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, – सदस्य (iv) वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना। सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, – सदस्य (v)प्रशासी विभाग, बिहार, पटना।

- (vi) वित्त विभाग, बिहार, पटना का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सदस्य सचिव से अन्यून स्तर का हों।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का एक सदस्य पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हों।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हों।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हों।
- (x) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के सदस्य प्रावधानों के अनुरूप तीन विशेषज्ञ, जिनमें से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ, जो विभाग द्वारा मनोनित किया जाएगा।
- (2.) उक्त नियमावली के नियम—9 के उप नियम—(4) के बाद उप नियम (5), (6) एवं (7) निम्नवत् जोड़ा जायेगा।—
 - "(5) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम—7(स) में विहित प्रावधान के आलोक में सेवा के उच्चतम वेतनमान के पद पर प्रोन्नित हेतु विभागीय प्रोन्नित समिति बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित की जायेगी।
 - (6) विभागीय प्रोन्नित समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नित के प्रस्तावों की जाँच कर अपनी अनुशंसा उपलब्ध करायेगी।
 - (7) विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना, समय—समय पर सरकार द्वारा किये गए संशोधन आदेश से, आच्छादित होगी एवं ऐसे आदेश के निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।"
- 3. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम—10 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम—10 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा।—
 - "10. स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।— (1) इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नित, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टिट, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

- (2) (क) (I) इस सेवा के सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को बिपार्ड द्वारा आयोजित 02 (दो) सप्ताह का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।
 - (II) कोषागार प्रशिक्षण— परिवीक्षा अवधि में सहायक प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य को 02 (दो) सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोषागार प्रशिक्षण संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
 - (III) सेवा सम्पुष्टि— बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी—
 - (i) यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/Assignment पूरा करना सम्मिलत होगा.,
 - (ii) संबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।
 - (iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्धारित 8 (आठ) Online modules of MOOCs in SWAYAM अथवा कोई अन्य निर्धारित अपेक्षा पूरा करना।
 - (IV) सेवा सम्पुष्टि से संबंधित कितनाईयों का निराकरण— सेवा सम्पुष्टि के संबंध में उत्पन्न किसी कितनाई/शंका का निराकरण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा विधि विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा।

(ख) उपरोक्त उपनियम—(2)(क) के प्रावधान इस संशोधन की तिथि के उपरान्त नियुक्त कर्मियों पर लागू होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अहमद महमुद) अपर सचिव-सह-निदेशक। ज्ञापांक — वि०प्रा० (I) स्था०—०४/२०14 (पार्ट)— ४८ में /पटना, दिनांक— ०२००१-२५ प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—७ को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पाँच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आपर सचिव—सह—मिदेशक।

ज्ञापांक – वि०प्रा० (I) स्था०–०४/२०१४ (पार्ट) — ४८२। /पटना, दिनांक — ०३ ००१-३५ प्रतिलिपि — कुलसचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक — वि०प्रा० (I) स्था०—०४/२०१४ (पार्ट)— ४८ म /पटना, दिनांक— ०२००१४ प्रितिलिपि— प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह+सिदेशक।

ज्ञापांक — वि०प्रा० (I) स्था०—०४/२०१४ (पार्ट)— ४८२। /पटना, दिनांक— ०३००१०३८ प्रतिलिपि— मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक — वि०प्रा० (I) स्था०—०६ / २०१४ (पार्ट)— ४८७। / पटना, दिनांक— ०३.०१.३५ प्रतिलिपि— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-मिदेशक।

ज्ञापांक — वि०प्रा० (I) स्था०—०६/2014 (पार्ट)— 48न /पटना, दिनांक—०२००१-२५ प्रतिलिपि— महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

Government of Bihar DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNICAL EDUCATION, BIHAR

NOTIFICATION

No. वि०प्रा० (i) स्था०-04 / 2014 (पार्ट) 4871

/Patna, Date- 02.09.25

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby is pleased to amend the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020. For this purpose of following rules are made:-

- 1. Short Title, Extent and Commencement.-
 - (i) These rules shall be known as Bihar Engineering Education Service (Second Amendment) Rules, 2025.
 - (ii) It shall extend to the Government Engineering Colleges under the Department of Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar, in the whole state of Bihar.
 - (iii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
- 2. Amendment in rule 9 of the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020.-
 - (1) Sub-rule (4) of rule-9 of the said rule shall be substituted as follows:-
 - "(4) Promotion to higher posts to the members of this service shall be done on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The composition of the Departmental Promotion Committee shall be as follows:-
 - (i) Development commissioner, Bihar, Patna. -Chairman
 - (ii) Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary, -Member Co-operative Department, Bihar, Patna.
 - (iii) Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary, -MemberAnimal Husbandry and Fisheries Department, Bihar, Patna
 - (iv) Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary, Member Forest and Environment Department, Bihar, Patna.

- (v) Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary, -Member Department of Science, Technology and Technical Education, Bihar, Patna
- (vi) A representative of the Finance Department, Bihar, Patna, Member not below the rank of Joint Secretary.
- (vii) An officer of the General Administration Department, MemberBihar, Member Patna, not below the rank of Joint Secretary.
- (viii) An officer of SC/ST, not below the rank of Joint -Member
 Secretary to be nominated by General Administration
 Department, Bihar, Patna.
- (ix) An officer from the minority community not below the Member rank of Joint Secretary, nominated by the General Administration Department, Bihar, Patna.
- (x) Three experts as per the Provisions of the All India Council-Member for Technical Education, New Delhi, out of which two shall be experts in the concerned subject, to be nominated by the Department.
- (2.) Sub-rule (5), (6) and (7) shall be added after Sub-rule (4) of rule-9 of the said rule as follows:-
 - "(5) In the light of the provision contained in Regulation-7 (c) of Bihar Public Service Commission (Limitation of Work) Regulation, 1957, a Departmental Promotion Committee shall be constituted under the chairmanship of a Member of Bihar Public Service Commission for promotion to the post of highest pay scale of the service.
 - (6) The Departmental Promotion Committee shall examine the promotion proposals on the basis of the criteria prescribed by the General Administration Department, Bihar, Patna and All India Council of Technical Education and submit its recommendation.
 - (7) The composition of the Departmental Promotion Committee shall be governed by such orders as may be amended by the Government from time to time and shall be effective from the date of issue of such orders."
- 3. Substitution of rule 10 of the Bihar Engineering Education Service Rules, 2020.- Rule 10 of Bihar Engineering Education Service Rules, 2020 shall be substituted as follows:-

- "10. Control of Establishment related matters.- (1) Appointment, Promotion, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority-list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.
- (2) (A) (I) Directly recruited officers to the Service will be required to undergo 02 (two) weeks induction training organized by the BIPARD.
- (II) Treasury Training:- It shall be compulsory for Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Principal to undergo treasury training for 02 (two) weeks during the probation period. Treasury training shall be given by the concerned District Treasury Officer.
- (III) Service Confirmation: The service of Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Principal appointed by direct recruitment on the recommendation of Bihar Public Service Commission can be confirmed after fulfilling the following requirements -
 - (i) Successfully completing all the stages of induction training as prescribed which shall include passing of tests / assignments as prescribed by the concerned Training Institute in these stages.
 - (ii) Fulfill other requirements as prescribed in the relevant service/cadre rules.
 - (iii) Fulfilling 8 (Eight) Online modules of MOOCs in SWAYAM or any other requirement as prescribed by All India Council for Technical Education.
 - (IV) Resolution of Difficulty related to Service Confirmation:- Any difficulty/doubt arising in relation to service confirmation can be resolved by the Department in consultation with the Finance Department, General Administration Department or Law Department as required.
- (B) The provisions of sub-section (2)(A) above shall apply to employees appointed after the date of this amendment.

By the order of the Governor Bihar,

(Ahmad Mahmood)

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.—विञ्राठ (I) स्थाठ—04/2014 (पार्ट) 48 न /Patna, Date- ०२ ०१ २५ ि Copy to :- Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Bihar, Patha-7 to Publish in the forthcoming issues of the Gazette. Kindly make available of 500 (five Hundred) printed copies to this department.

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.-विञ्चार्ठ (I) स्थार्ठ-04/2014 (पार्ट) 4871 /Patna, Date- ०२.०१.२५ Copy to :- All The Chancellor, Bihar University of Engineering, Patna / Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna / All Principals, Government College of Engineering / All Government Polytechnics / Government Women Polytechnic Institute for information.

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.—विочто (I) स्था०—04/2014 (पार्ट) 4871 /Patna, Date- 02.09.25 Copy to :- Principal Accountant General, Bihar, Veerchand Patel Path, Patna / Finance (Individual Claims Assessment Cell) Department of Bihar, Patna / Treasury Officer, All District Treasuries, Bihar for information and necessary action.

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.—विоपाо (I) स्थाо—04/2014 (पार्ट) 48 में /Patna, Date- 02.09.25 Copy to :- Chief Secretary/All Principal Secretary / Secretary / All Directors / All Divisional Commissioners, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.—विञ्चार्ठ (I) स्थार्ठ—04/2014 (पार्ट) 48म /Patna, Date- 02.09.25 Copy to: The Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary-cum-Director

Memo No.—विоप्राо (I) स्था०—04/2014 (पार्ट) 4871 /Patna, Date- 02-09-25 Copy to :- Secretary, Hon'ble Governor, Bihar / Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister/Private Secretary to Hon'ble Department Minister/Principal Private Secretary of Secretary/Director Cell, Department of Science, Technology and Technical Education, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary-cum-Director